

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर भोपाल - 462021  
दूरभाष - 0755-2600115

www.educationportal.mp.gov.in, www.shikshaportal.mp.gov.in

क्र./ ~~क.प्र.~~ / 2018-19 / अध-संवर्ग/प्रो/वेरोपसेल/ ११  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/12/2018

जिला शिक्षा अधिकारी

समस्त जिले - म.प्र.

(अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, झाबुआ, बड़वानी जिले को छोड़कर)

विषय : अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त हेतु आदेश जारी किये जाने की प्रगति के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ : संचालनालय का पत्र क्र. / विशेष सेल / 2018/81 दिनांक 30/11/2018, क्र./ विशेष सेल /2018/88 दिनांक 20/12/2018 , पत्र क्र. / विशेष सेल /2018/92 दिनांक 20/12/2018

विषयान्तर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति की कार्यवाही हेतु संदर्भित पत्रों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आचार संहिता समाप्ति उपरान्त पूर्व का शेष कार्य अब तक पूर्ण हो जाना चाहिये था बड़े खेद का विषय है कि किसी भी जिले द्वारा अब तक पूर्ण कार्यवाही नहीं की गयी है। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

१. सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन : निम्न जिलों का प्रतिशत राज्य के औसत प्रतिशत से भी कम है

District	Employees	Verified	%
BETUL	2904	2801	96%
GWALIOR	4409	4251	96%
TIKAMGARH	5525	5314	96%
SHEOPUR	2147	2058	96%
MANDSAUR	3879	3714	96%
SHAHDOL	801	758	95%
BHOPAL	3070	2900	94%
SIDHI	4308	4041	94%
BURHANPUR	1499	1396	93%
INDORE	4362	4010	92%

२. जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार सत्यापित प्रकरणों में से जिले द्वारा पात्र/अपात्र घोषित किये जाने में राज्य के औसत प्रतिशत से भी कम जिले निम्न है :

District	Verified	Eligible	%
HOSHANGABAD	3233	2671	83%
BURHANPUR	1396	1120	80%
BETUL	2801	1872	67%
KHANDWA	3182	1292	41%
BHIND	5472	1484	27%
SHIVPURI	6588	1758	27%
SATNA	8321	2104	25%
REWA	7417	1567	21%

३. पात्र घोषित करने के उपरांत भी आदेश जनरेट नहीं करने में राज्य के औसत प्रतिशत से भी कम जिले निम्न है :

District	Eligible	Order Generated	%
<u>MORENA</u>	5033	3344	66%
<u>DEWAS</u>	4514	2770	61%
<u>CHHINDWARA</u>	4277	2474	58%
<u>UJJAIN</u>	4426	2272	51%
<u>SAGAR</u>	7376	3236	44%
<u>GUNA</u>	4922	2139	43%
<u>KATNI</u>	4137	1762	43%
<u>MANDSAUR</u>	3651	1098	30%
<u>SEONI</u>	2571	616	24%
<u>REWA</u>	1567	201	13%
<u>KHANDWA</u>	1292	140	11%
<u>SINGROULI</u>	3193	252	8%
<u>AGAR MALWA</u>	1986	45	2%
<u>SHIVPURI</u>	1758	3	0%
<u>SIDHI</u>	4002	0	0%

४. आदेश जनरेट करने के उपरांत डिजिटल हस्ताक्षर युक्त आदेश जारी नहीं करने में राज्य के औसत प्रतिशत से भी कम जिले निम्न है :

District	Order Generated	Digitally Signed	% of digital sign
<u>NEEMUCH</u>	1978	1407	71%
<u>MORENA</u>	3344	2199	66%
<u>SHEOPUR</u>	1751	1149	66%
<u>SHAHDOL</u>	625	402	64%
<u>SHAJAPUR</u>	2425	1442	59%
<u>DATIA</u>	2256	1333	59%
<u>CHHINDWARA</u>	2474	1261	51%
<u>RATLAM</u>	2753	1315	48%
<u>KHANDWA</u>	140	51	36%
<u>PANNA</u>	2866	979	34%
<u>RAJGARH</u>	5221	1547	30%
<u>SATNA</u>	1678	492	29%
<u>KATNI</u>	1762	451	26%
<u>DEWAS</u>	2770	702	25%
<u>MANDSAUR</u>	1098	198	18%
<u>SINGROULI</u>	252	4	2%
<u>GUNA</u>	2139	0	0%
<u>REWA</u>	201	0	0%
<u>AGAR MALWA</u>	45	0	0%
<u>SHIVPURI</u>	3	0	0%

५. आदेश जनरेट करने से पूर्व सभी जिलों को अपने जिले के लोक सेवक जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उनकी जानकारी Deputation management System पर दर्ज किये जाने के निर्देश जारी किये गए थे निम्न जिलों द्वारा अब तक इनकी जानकारी की प्रविष्टि प्रारंभ भी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि यदि प्रतिनियुक्ति की जानकारी सम्बंधित जिले द्वारा नहीं प्रविष्टि की जाती है तो अध्यापक की प्रतिनियुक्ति संस्था को ही आदेश जारी हो जायेगा। इस प्रकार की त्रुटि / तकनीकी समस्याओं के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। आदेश जारी होने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

District Name	Total Employees
BHIND	2
PANNA	2
ANUPPUR	1
KHANDWA	1
SAGAR	1
SIDHI	1
AGAR MALWA	0
ALIRAJPUR	0
BARWANI	0
BETUL	0
BURHANPUR	0
DAMOH	0
JHABUA	0
MANDLA	0
SATNA	0

प्रमुख सचिव महोदया द्वारा २ जनवरी को उपर्युक्त समीक्षा की जाएगी। अतः सभी जिलों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कार्य पूर्ण करते हुए प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(जयश्री कियावत)  
आयुक्त,  
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक/ विशेष सेल /2018/ ११  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक ...29/12/2018

- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ
- राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC विंध्यांचल भवन की ओर सूचनार्थ
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

आयुक्त,  
लोक शिक्षण म.प्र.